हुक्म

22/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0/तहसीलदार
से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो शा0 रहे/अप्रार्थी द्वारा
प्रकरण में बहस सुने जाने का निवेदन करने पर वकील
अ आवेदक को आवाज लगवाई गई। परन्तु उपस्थित
नहीं आये। वकील प्रार्थी को सुना गया। फैसले
वास्ते आदेश दिनांक 24-3-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

24-3-21

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्रार्थी का कथन है कि वर्तमान नक्शाशीट
में डोटेड लाईन पर ख0 नं0 532 की सीमा निर्धारित कर
सीधी लाईन खींची जावे, वादी को एक तरफ का भी कोई
विवाद नहीं है कि वादीगण की जिस जगह मेड़बन्दी हुई है
वहाँ सीधी लाईन खींची जाकर ख0 नं0 532 का रकबा
2.82 है0 पूरा करते हुए सीधी लाईन खींचते हुए नक्शा
दुरुस्त करने का निवेदन किया गया है। अनावेदक नं0 1
द्वारा जवाब प्रा0-पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार
करते हुए आवेदक का प्रा0-पत्र विधि द्वारा वर्जित होने
पर खारिज करने का निवेदन किया है। प्रा0-पत्र में वर्णित
तथ्यों बाबत तहसीलदार से जाँच चाही जाने पर तहसीलदार
मेड़ता ने अपने पत्र क्रमांक 820 दिनांक 12-3-21 को पेश
की जिसके अनुसार ग्राम हेतमसर के विवादित ख0 नं0 532
रकबा 2.82 है0 किस्म बारानी प्रथम प्रदीप पुत्र नरेन्द्र हि0
1/2, बनारसी देवी पत्नी नरेन्द्र हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम
दर्ज रिकार्ड है एवं ख0नं0 533 रकबा 2.83 है0 किस्म बारानी
तृतीय प्रताप सिंह पिता चन्द्राराम जाट के नाम से दर्ज रिकार्ड है
यह कि ग्राम हेतमसर के ख0 नं0 533 में डोटेड लाईन
दर्शायी गई है जो आवेदक के प्रताप सिंह द्वारा जिला भू-अभि0
कार्यालय से प्राप्त नक्शाशीट एवं [illegible] के
पैमाइश से पूर्व के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन [illegible]
पाया कि गत ख0 नं0 175 था, जिसके [illegible]
पैमाइश के भी डोटेड लाईन थी। [illegible]
2011-2002 की नक्शा शीट में हूबहू दर्शित है [illegible] की
ख0 नम्बरान की पुख्ता लाईन अलग से दर्शायी गयी है
ग्राम हेतमसर के ख0नं0 175 में दर्शित डोटेड लाईन व
वर्तमान ख0नं0 532 व 533 के बीच [illegible] डोटेड लाईन

—2—

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:24 IST
Reason: SelfAttested

56/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

| तारीख हुक्म | |
|---|---|

का खाता विभाजन से कोई संबंध नहीं है जो डोटेड
लाईन सन् 1935 1936 के नक्शे में थी वही डोटेड लाईन
सन् 2001-2002 के नक्शे में दर्शित है व ग्राम हेलमपुर के
ख० नं० 532-533 का मौका निरीक्षण किया गया, ख० नं० 532
में मौके पर फसल खड़ी है। ख० नं० 533 में मौके पर काश्तकारी
है तथा इन खसरा नम्बरान के आस-पास के खेतों में भी
खेती की फसल काश्त की हुई है। ख० नं० 533 की पूर्वी दिशा पर
स्थित सीमा का उत्तर से दक्षिण नाप किया गया जो नक्शे की
अंकित दूरी कम है। उक्त आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
प्रार्थी (वादी) के प्रा०-पत्र व जवाब प्रतिवादी नं०-1 के वर्णित
तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व मौका
रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया
तथा पक्षों के अधिवक्ता की बहस को श्रवण किया गया। प्रा०-पत्र
में वर्णित तथ्यों बाबत रिपोर्ट तहसीलदार ने ख० नं० 533 की
पूर्वी दिशा पर स्थित सीमा का उत्तर से दक्षिण नाप से नक्शे की
अंकित दूरी कम होने की तस्दीक करती है अतः प्रार्थी/वादी
का प्रा०-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता
है।

## आदेश

आवेदक का यह प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार
किया जाकर तहसीलदार खुर्जा को आदेशित किया जाता
है कि वह वादी के खर्चे पर अपनी स्वयं की अध्यक्षता में
दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक राजस्व टीम का गठन
कर स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर अपनी निगरानी में
ग्राम हेलमपुर के विवादित ख० नं० 532 रकबा 2.82 है०
व ख० नं० 533 रकबा 2.83 है० बाबत किसी भी प्रकार
का रकबा कम या अधिक न होने की स्थिति में ख० नं०
533 की पूर्वी दिशा पर स्थित सीमा [illegible]
नाप किया जाकर ख० नं० 532 का रकबा 2.82 [illegible]
पूरा करते हुए वर्तमान नक्शा [illegible]
आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार खुर्जा को तहरीर
के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज रजिस्टर से बाद हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर
हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक अधिकारी
(राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:24 IST
Reason: SelfAttested